

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 842] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939 No. 842] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं 38/2017-केन्दीय कर

सा.का.नि.1252(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 1158(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में -

(i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद), हाथ से बनी शालें ,स्टोल और स्कार्फ	50, 58, 61, 62, 63सहित";

(ii)क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल ,नामदा ,गाबा	कोई अध्याय

6192 GI/2017 (1)

31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 32/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1158(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 38/2017 - Central Tax

G.S.R. 1252(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2017- Central Tax, dated the 15th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1158(E), dated the 15th September, 2017, namely:-In the said notification, in the Table –

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63";
----	--	--------------------------------

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter".

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note: -The principal notification No.32/2017-Central Tax, dated the 15th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1158(E), dated the 15th September, 2017.